Revision Case No –16/2018

District – Banka

==========

Diwaker Chandra Debey.

Vs.

Collector, Banka & Ors.

==========

आदेश

यह अभ्यावेदन तत्कालीन बंदोबस्तधारी श्री दिवाकर चन्द्र दूबे बालूघाट समूह–1, बाँका द्वारा CWJC No.-6210/2012 में दिनांक 20.08.2018 को पारित आदेश के आलोक में समर्पित किया गया है। इस आवेदन पर सुनवाई दिनांक 24.10.2018 को की गयी। सुनवाई के दौरान आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री सुबोध कुमार सिन्हा उपस्थित थे। आवेदनकर्ता का कहना है कि पंचांग वर्ष 2010 से 2012 के लिए उन्हें बाँका जिलान्तर्गत बालूघाट समूह–1 की बंदोबस्ती ₹10,10,50,000/– में प्राप्त हुई थी। उन्हें पंचांग वर्ष 2010 में 46 दिनों के विलम्ब से बालूघाट का स्वामित्व दिनांक 16.02.2010 को दिया गया, इसलिए 46 दिनों के विलम्ब के लिए नीलामी राशि में से समानुपातिक घटाव कर ₹8,83,14,932/–में बंदोबस्ती वर्ष 2010 के लिए दी गयी। पुनः दिनांक 08.05.2010 को बालूघाट समूह संख्या–1 का बालू उत्खनन समाहर्त्ता, बाँका द्वारा बंद कर दिया गया, जिसके उपरांत उनके द्वारा माननीय पटना उच्च न्यायालय में CWJC No.-8767/2010 दायर किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 29.07.2010 को पारित आदेश के आलोक में दिनांक 11.08.2010 से पुनः बालू उत्खनन प्रारंभ हुआ। आवेदनकर्ता का कहना है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में 96 दिनों तक बालू उत्खनन बंद रहने की अवधि के विरूद्ध ₹4,42,51,849/–की गणना कर समाहर्त्ता, बाँका के समक्ष अभ्यावेदन समर्पित किया गया, जो समाहर्त्ता, बाँका द्वारा दिनांक 04.06.2011 को निरस्त कर दिया गया। वे समाहर्त्ता, बाँका के आदेश के विरूद्ध खान आयुक्त के समक्ष पुनरीक्षण वाद सं0–21/2011 दायर किये जो दिनांक 16.02.2012 को खारिज कर दिया गया। खान आयुक्त के आदेश दिनांक 16.02.2012 के विरूद्ध इनके द्वारा माननीय पटना उच्च न्यायालय में CWJC No-6210/2012 दायर किया गया, जिसमें दिनांक 20.08.2018 को पारित आदेश के आलोक में वे अभ्यावेदन समर्पित किये हैं।

आवेदनकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि CWJC No-8767/2010 में दिनांक 29.07.2010 को पारित आदेश में माननीय न्यायालय द्वारा समाहर्त्ता, बाँका के बालू उत्खनन पर प्रतिबंध संबंधी आदेश को बिना वैध आवश्यकता एवं अधिकार क्षेत्र से बाहर बताते हुए रद्द किया गया एवं प्रतिबंध अवधि की क्षतिपूर्ति का दावा करने का निदेश दिया

गया है। 96 दिनों का प्रतिबंध नैसर्गिक न्याय की दृष्टि से न्यायोचित नहीं है एवं वे क्षतिपूर्ति के पात्र है।

खान निरीक्षक, बाँका से तथ्यात्मक/कंडिकावार प्रतिवेदन प्राप्त किया गया है। प्रतिवेदन में उल्लेख है कि 96 दिनों के बालू उत्खनन पर प्रतिबंध की अवधि की क्षतिपूर्ति के लिए खान आयुक्त न्यायालय में दायर पुनरीक्षण वाद संख्या–21/2011 में दावे को इस आधार पर अस्वीकृत किया जा चुका है कि उन्हें प्रतिबंध के बावजूद भी नीलामी राशि के विरूद्ध फायदा ही हुआ है एवं क्षतिपूर्ति का दावा प्रमाणित नहीं होता है, अतः आवेदन अस्वीकार योग्य है।

आवेदनकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेखों को देखा। इस आवेदन पर सुनवाई होने के पश्चात स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा पंचांग वर्ष 2010 में कुल 2,24,28,550 घनफीट बालू का उठाव किया गया है। बालू उत्खनन की यह मात्रा 96 दिनों के प्रतिबंध के उपरांत भी वर्ष 2009 में उत्खनित बालू की मात्रा से 86,82,000 घटफीट अधिक है। वर्ष 2010 के बालू उत्खनन की मात्रा को 500/–रूपये प्रति सौ घनफीट की दर से गुणा करने पर इसका मूल्य ₹11,21,43,000/– आता है जो पंचांग वर्ष 2010 की वास्तविक बंदोबस्ती राशि 8,83,15,000/–से बहुत अधिक है। इसी के आलोक में आवेदक का क्षतिपूर्ति दावा समाहर्त्ता, बाँका एवं तत्कालीन खान आयुक्त के समक्ष प्रमाणित नहीं हुआ है। आवेदक पूर्व के तथ्यों के अतिरिक्त कोई नया तथ्य रखने में असमर्थ रहे, जिससे उनके क्षतिपूर्ति के दावे की सम्पुष्टि हो सके।

अतः पूर्ण विचारोपरांत क्षतिपूर्ति के दावे संबंधी इस आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है। आदेश की प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

लेखापित एवं संशोधित

ह0/–
(अंशुली आर्या)
खान आयुक्त, बिहार।

ह0/–
(अंशुली आर्या)
खान आयुक्त, बिहार।

ज्ञापांकः–4273/एम0, पटना, दिनांक 20/11/18

प्रतिलिपिः–समाहर्त्ता, बाँका/खान निरीक्षक, जिला खनन कार्यालय, बाँका/ श्री दिवाकर चन्द्र दूबे, पिता–स्व0 उमेश चन्द्र दूबे, ग्राम–फुलवरिया, पो0–बंजारी, थाना–जगदीशपुर, जिला–भागलपुर/आई0टी0 मैनेजर, खान एवं भूतत्व विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव